


17/2/21

पगावली पेशा डई। ग्रामीण अधिकारी उप०।
पगावली में कमी साथ प्रस्तुत मुल दावे
का निस्तारण पूर्व में ही युक्त है इस
कारण उक्त प्रकृता का कोई औचित्य
नहीं होने से उक्त प्रकृता की कार्यवाही
इसी स्तर पर रोक की जाती है। पगावली
केवल शुभारंभ ही कर संपन्न से कम
है। निर्णय सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला-उदयपुर (राज.)